(273)

II/निग0/सतना/2018/0135/ (397)

राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा(म0प्र0)

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

1:— कमलाकान्त उरमलिया तनय स्व0रघुनाथ प्रसाद उरमलिया,उम्र 45वर्ष पेशा—कृषि,निवासी—ग्राम—डढ़िया,रा0नि0वृत्त—उटरा,तहसील—उँचेहरा जिला—सतना(म0प्र0)

2:— कृष्णाकांत उरमलिया तनय स्व0रघुनाथ प्रसाद उरमलिया,उम्र 38वर्ष पेशा—कृषि,निवासी—ग्राम—डढ़िया,रा0नि0वृत्त—उटरा,तहसील—उँचेहरा जिला—सतना(म0प्र0)————————————*निगरानीकर्तागण*

<u>*विरुद्ध*</u>

1:— शीतल प्रसाद उरमलिया तनय स्व0श्री महादेव प्रसाद उरमलिया, उम्र 64वर्ष,सा0—ग्राम—डढ़िया,रा0नि0वृत्त—उटरा,तहसील—उँचेहरा जिला—सतना(म0प्र0)————————————*गैरनिगरानीकर्ता*

निगरानी विरुद्ध नायब तहसीलदार वृत्त अटरा,,तहसील—उँचेहरा का राजस्व प्रकरण क्रमांक—2A5/2008—09 आदेश दिनांक—15.09.2017

निगरानी धारा—50भू0रा0सं0—1959

मान्यवर,

निगराकारगण निगरानी पेश कर विनय है कि :—

1:— यह कि ग्राम डढ़िया की आराजी नम्बर—131/1, 170/19, 171/19, 165/19, 166/19, 168/1क एवं 44/1क कुल 7किता के

—2—

II/निग०/सतना/2018/0180

(273)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II/निग०/18/1351 जिला सतना

कमलाकांत उर्फ मिश्रा विरूद्ध शीतल प्रसाद उर्फ मिश्रा

1	2	3
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री अमरनाथ शर्मा अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील उन्चेहरा (अटरा) के प्रकरण क्रमांक 02/अ-5/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 15-9-12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16-4-19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	